

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/II/ 7029

दिनांक 14.09.20

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत),
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा,
बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर,
जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़,
सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव माह सितम्बर-अक्टूबर, 2020-नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में।

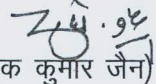
संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 7(1)(1)पंचा/रा.नि.आ/2019/153 दिनांक 06.01.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयोग द्वारा माह जनवरी 2020 में पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के चुनाव सम्पन्न कराये गये थे। आम चुनाव के दौरान आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 - नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 153 दिनांक 06.01.2020 से निर्देश जारी किये गये थे, सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है।

चुनाव से शेष रही 3848 पंचायतों के पंच एवं सरपंच पदों के चुनाव माह सितम्बर-अक्टूबर 2020 में करवाये जाने हैं। अतः माह सितम्बर-अक्टूबर 2020 में कराये जा रहे चुनावों में भी उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी निर्देशों की तदनुसार समुचित पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(अशोक कुमार जैन) 14/09/2020
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा./रा.नि.आ./2019/153

दिनांक : 06.01.2020

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 - नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में।

महोदय,

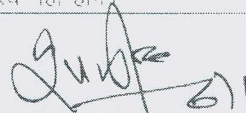
आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव, 2020 में सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी किया जा चुका है, उक्त निर्वाचन के चरणवार कार्यक्रम में निर्धारित तिथियों को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे।

उक्त क्रम में पंच/सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

क्र. सं.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण
1	2	3
1	नाम निर्देशन पत्र -4	नामनिर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरी जानी है कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए।
2	प्रारूप 4 घ	पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। इसका भी कोई कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए बिन्दु संख्या 1 - विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 2- आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 3- सतान के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 4-सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता के निर्धारण के लिए है। किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता निर्धारित नहीं होती है।
3	उपावन्ध-I B (केवल सरपंच के पद के लिए)	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पत्तियों एवं देयता (Dues) की सूचना प्राप्त किये जाने के लिए भरा जाना है। उक्त प्रारूप 50/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए।
4	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र/अडरटेकिंग	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन कर इसे लागू किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है।
5	नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, कॉलम 3 में अंकित मामलों में ही सिर्फ राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	1. यदि अभ्यर्थी के उपर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर/फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। 2. चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार जिनके उपर इस प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का नो-ड्यूज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। 3. यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति/उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात्

[Handwritten Signature]
6/1/20

		भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है तथा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (Defaulter) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा परन्तु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जावेगा।
6	चरित्र प्रमाण पत्र	संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है।
7	जाति प्रमाण पत्र	1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो कलक्टर या राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी साधारण वार्ड से चुनाव लड़ने से विवर्जित नहीं होगा। 3. कोई पुरुष अभ्यर्थी महिला के लिए आरक्षित किसी वार्ड से नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।
8	जमानत राशि के संबंध में (केवल सरपंच के पद के लिए)	राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 56 (3) के अनुसार सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने हेतु जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क रु. 500 है तथा महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु. 250 है। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि सामान्य वार्ड से नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत राशि में रियायत चाहता है तो उसे कलक्टर या राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9	सांख्यिकी सूचना	नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सकें।
10.	बच्चों की कुल संख्या की गणना में दिव्यांग बच्चे को शामिल नहीं करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र	पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ठ) के लिए दिये परन्तु (iv)(ग) में यह प्रावधान है कि बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव में जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो। इस प्रावधान के स्पष्टीकरण में शब्द दिव्यांगता में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। अतः इस उपबंध का फायदा प्राप्त करने के लिए पूर्व के प्रसव में जन्मे बच्चे का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11.	नामनिर्देशन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रारूप	नामनिर्देशन पत्र, प्रारूप 4 घ, उपाबन्ध-1B कार्यशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के प्रारूप आयोग द्वारा छपवाकर पर्याप्त मात्रा में जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। 1. अभ्यर्थी द्वारा प्रथमतः आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त प्रारूप ही प्रयुक्त किये जायें। 2. यदि आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप उपलब्ध नहीं होते हैं। तो उनकी फोटो प्रति प्रयुक्त की जायें। 3. उक्त के अतिरिक्त टाईप किये हुए प्रारूप जिसमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हो प्रयुक्त किया जा सकेगा। 4. हस्त लिखित नामनिर्देशन पत्र एवं संलग्न पत्र स्वीकारिय नहीं होंगे।


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
 राज्य निर्वाचन आयोग,
 राज., जयपुर।